न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 286/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

आवास फाइनेन्स लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री देवीलाल पिलानियां
कॉरपोरेट एवं रजिस्टर्ड कार्यालयः– 201–202, द्वितीय तल, साउथ हेण्ड, स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर राज. 302020
शाखा कार्यालयः– द्वितीय तल, पार्वती टॉवर, पोलो ग्राउण्ड, हरीराम मार्ग, चांदपोल सीकर राज. 332001

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **कालू राम पुत्र मुरलीधर**
   प्रथम पताः– वार्ड न. 11, हरिजन मोहल्ला श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर 332715
   द्वितीय पताः– पट्टा न. 156, वार्ड न. 21, अम्बेडकर पार्क के पास मोहल्ला महाजन श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. ।
2. **कृष्ण कुमार पुत्र कालू राम** वार्ड न. 11, हरिजन मोहल्ला श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर 332715
3. **गीता देवी पत्नी कालू राम** वार्ड न. 11, हरिजन मोहल्ला श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर 332715
4. **किशोर कुमार पुत्र संतोष कुमार** वार्ड न. 19, हरिजन मोहल्ला श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर 332715

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 23 मार्च, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री परिवेश कुमार** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **कालू राम पुत्र मुरलीधर, कृष्ण कुमार पुत्र कालू राम, गीता देवी पत्नी कालू राम व किशोर कुमार पुत्र संतोष कुमार** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति सं. 1 पट्टा न. 156, वार्ड न 21, अम्बेडकर पार्क के पास, मोहल्ला महाजन, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.** स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 164.51 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में दीनाराम का मकान, दक्षिण दिशा में बंशी का मकान, पूरब दिशा में मोहनलाल का मकान व पश्चिम दिशा में आम रास्ता है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹6,00,000/– रूपये (अक्षरे रूपये छः लाख) का ऋण स्वीकृत** कर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **05.08.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **05.08.2025** को धारा 13(2) के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **कालू राम पुत्र मुरलीधर, कृष्ण कुमार पुत्र कालू राम, गीता देवी पत्नी कालू राम व किशोर कुमार पुत्र संतोष कुमार** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति सं. 1 पट्टा न. 156, वार्ड न 21, अम्बेडकर पार्क के पास, मोहल्ला महाजन, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.** स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 164.51 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट,सीकर

प्रकार हैं– उत्तर दिशा में दीनाराम का मकान, दक्षिण दिशा में बंशी का मकान, पूरब दिशा में मोहनलाल का मकान व पश्चिम दिशा में आम रास्ता है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

6. आदेश आज दिनांक 23 **मार्च, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर